

अनुगोदन के सन्दर्भ में जिला पेयजल एवं स्वच्छता भिशन की दिनांक- 11.08.2022 का जारी।  
आज दिनांक 11.08.2022 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी कौशाम्बी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता भिशन की बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदर्य उपरिथित रहे।

		अध्यक्ष
1	जिलाधिकारी, कौशाम्बी।	उपाध्यक्ष
2	मुख्य विकारा अधिकारी, कौशाम्बी।	सदरस्य
3	प्रगाणीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।	सादरस्य
4	मुख्य विकिर्साधिकारी, कौशाम्बी।	सादरस्य
5	जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	सादरस्य
6	जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।	सादरस्य
7	जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।	सादरस्य
8	जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।	सादरस्य
9	जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।	सादरस्य
10	अधिशासी अभियन्ता चाटर रिसोर्स / सिंचाई, कौशाम्बी।	सादरस्य संचिव
11	अधिशासी अभियन्ता, उठोप्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।	कार्यदायी संस्थाः
12	प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० जे०एम०स०० प्रोजेक्ट इंडिया लिं० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल० (जे०वी०) कौशाम्बी।	

सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा पूर्व की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जिसका समिति ने रार्चरणिते से अंगगोदन किया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी०डब्ल्यू०एस०एम०, कौशाम्बी की अनुमति से वैठक की कार्याधारी प्रराम्भ की गया। अधिकारी जानवरों जल निगम/सदरम्य संचित द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित फर्म द्वारा जनपद कौशाम्बी में जल जीवन मिशन फेज-२ के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों में से ०१ नग नयी पेयजल योजनाओं के डी०पी०आर० राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से वैटिंग कराकर प्रस्तुत किया गया। जिनका विवरण निनानुसार है :-

(रु. 05.00 करोड से आधिक लागत का अनुदान)									
क्रमांक	विद्याना समाक्षेत्र का नाम	प्रेयजल योजना का नाम	विकास खण्ड	योजना में समिलित राजस्व ग्रामों की संख्या	योजना में प्रविधानित FHTC की संख्या	कुल वर्क कारट (रु० लाख में)	सेटेज (रु० लाख में)	कुल औंपी०आर०लापा० (रु० लाख में)	डिज़िन वर्ष में प्रति व्यक्ति लागत (रु० हजार में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MANJHANPUR	BIDWAN	KAUSHIAMBHI	1	1458	523.84	55.49	579.33	4195

३८८ वें बिना प्रेग्जल एवं स्वकृता मिशन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गये :-

- क में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सामान द्वारा निन्ना नियम तरतु १५
  - जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष प्रस्तुत की गयी ०१ नग नयी पेयजल योजना के डी०पी०आर० को इस प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदन हेतु निर्णय लिया गया है कि जिला रत्तर पर गठित तकनीकी रामिति द्वारा उपरोक्त आंगनवास के कार्यों के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसे सुनिश्चित करने एवं अनुपालन करने का उत्तरादायित सम्बन्धित फर्म में० जे०एम०री० प्रोजेक्ट इण्डिया लिं० एवं एल०सी०इ०एरा०पी०एल० (जे०पी०) (कार्यवाही- में० जे०एम०री० प्रोजेक्ट इण्डिया लिं० एवं एल०सी०इ०एस०पी०एल० (जे०पी०))
  - जिला पेयजल एवं स्वच्छता रामिति में० जे०एम०री० प्रोजेक्ट इण्डिया लिं० एवं एल०सी०इ०एस०पी०एल० (जे०पी०) द्वारा तैयार किये गये। प्राक्कलनों में घटि॒धि॒ में अच्युत रायथा/जिला रत्तीय तकनीकी रामिति द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्यों के विपरीत विरचन अख्वा दर्शन में भिन्नता परिलक्षित होती है तो इसका सापूर्ण दायित्व फर्म का होगा। साथ ही साथ फर्म उक्त डी०पी०आर० को अपने व्यय पर संशोधित करेगी, जिसके लिए फर्म को कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। (कार्यवाही- में० जे०एम०री० प्रोजेक्ट इण्डिया लिं० एवं एल०सी०इ०एस०पी०एल० (जे०पी०))
  - अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं० ३४४ /डब्ल्यू० १७ /२०२०-२१ विनाक ०४.०६.२०२१ के क्रम समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त टेल इन्ड एवं क्रिटिकल प्लाइंट पर गिनिगम ट्रैनिंल हेड ०७ मीटर प्राप्त किया जायेगा। इसकी सापूर्ण जिमोदारी फर्म में० जे०एम०री० प्रोजेक्ट इण्डिया लिं० एवं एल०सी०इ०एस०पी०एल० (जे०पी०) की होगी। इनका अनिम भुगतान फर्म द्वारा प्रमाण पत्र एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं अधिशासी अभियन्ता सिवाई विभाग से सत्यापन कराने के उपरान्त किया जाये। (कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सिवाई विभाग/ में० जे०एम०री० प्रोजेक्ट इण्डिया लिं० एवं एल०सी०इ०एस०पी०एल० (जे०पी०))
  - जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा शारानादेश संख्या ०७ /२०२२ /४३० /छिह्नतार-१ २०२२-२५राम०/२०१९ नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-१ लखनऊ दिनांक ०४ मार्च २०२२ के क्रम रु० ०५.०० करोड़ से कम लागत के ६ नग प्राक्कलनों को तकनीकी रूपौकृति के उपरान्त अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। (कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम/ में० जे०एम०री० प्रोजेक्ट इण्डिया लिं० एवं एल०सी०इ०एस०पी०एल० (जे०पी०))

अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि से जल जीवन मिशन फेज-2 के प्राक्कलनों तैयार करने के सन्दर्भ में जानकारी चाही है।

अन्त में दैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष गहोदय की अनुमति से संधनवाद् रागत हुयी।

  
जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
कौशाम्बी।

### कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) कौशाम्बी।

पत्रांक 1210 / ००-७४ / ५७। दिनांक - 16/८/२०२२

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
2. जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।
5. जिला देविक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।
6. जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।
7. जिला पचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।
8. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई कौशाम्बी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्गाण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
10. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० जे०एम०सी० प्रोजेक्ट इण्डिया लिं० एवं एल०सी०ई०एरा०पी० एल० (जे०वी०) कौशाम्बी।

  
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य संचिव  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
कौशाम्बी।